न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
19/2020	2020/00051	23.11.2020	26.02.2021

श्री सुरजमल पुत्र श्री रतन मीणा उचित मूल्य दुकानदार सरीपीपली (FPS Code 15644) ग्राम पंचायत सरीपीपली तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

: –रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री घनश्याम मीणा एवं श्री गणेशलाल मीणा अधिवक्ता पैरोकार सरकार (रसद)

–: आदेश :–

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 26.08.2020 को नोटिस भेजा गया। जिसमें यह प्रकथित किया गया विपक्षी/अपीलान्ट ने दर्शाया कि राशनकार्ड धारा सूची अनुसार कमांक 1 लगायत 54 को गेहूं वितरण करते समय निर्धारित राशि के अलावा 5 रूपया पर्ची के रूप में लिए गए है, ऐसा आरोप शिकायत कर्तागण द्वारा लगाया गया है। विपक्षी/अपीलान्ट उत्तरदाता की ओर से दिनांक 11.09.2020 को उत्तर पेश कर प्रकथित किया गया कि उत्तरदाता आरोप सूची धारी व्यक्तियों द्वारा गलत लगाये गये हैं जिसका वास्तविकता में उनका कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी उत्तरदाता करीब 25 वर्ष से उचित मुल्य की दुकान में गेहूं व अन्य चीजों का वितरण हमेशा से नियमानुसार करता चला आ रहा है। पूर्व में कोई आरोप नहीं लगे हैं। उत्तरदाता ने कभी भी विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के अलावा अधिक राशि कभी भी नहीं ली है। मात्र राजनैतिक वैमनस्यता से शिकायत कराई हैं ताकि गांव के सरपंच को व्यक्तिगत रूप से चुनाव में सहयोग नहीं करू और उसको चुनाव में खड़ा होने से मना कर दूं। मैं व मेरा परिवार हमेशा से भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता रहे है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हो। इस कारण तुम्हारा लायसेंस निरस्त करा देंगे। उत्तरदाता ने अपनी राशन की दुकान पर कोई अनियमितता नहीं की है। गेहूं का वितरण कर पर्ची मशीन द्वारा निकालकर राशनधारियों को दी गयी है। अतएव आरोपो को समाप्त किये जावे।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेण्ट द्वारा मनमर्जी से बयान कलमबद्ध किये है और सम्पूर्ण कार्यवाही राजनैतिक द्वैषता से की है। अतएव लायसेंस को चालू रखावे व आरोपो को निरस्त करावें।

रेस्पोडेण्ट निर्णय दिनांक 30.09.2020 से नाराज होकर यह अपील निम्नांकित कारणों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत क जा रही है –

1. यह कि दिनांक 30.09.2020 का निर्णय विधि व नियमों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि श्रीमान से प्रार्थना है कि दिनांक 12.02.2020 की आदेशिका में यह आदेश दिया गया था कि "डीलर द्वारा पुनः गलती नहीं करने की शर्त पर प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– चालान द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उसका लायसेंस बहाल किया जाता है एवं कार्यवाही लम्बित रखी जाती है। इसके पश्चात पत्रावली में क्या क्या कार्यवाही की गयी। इस बाबत् बाद की आदेशिका नहीं लिखी गयी है और दिनांक 30.09.2020 का "प्राधिकार निरस्त" किया जाना है और विस्तार से निर्णय पृथक से जारी किया गया है। जब एक बार दिनांक 12.02.2020 को आदेश देकर पत्रावली में प्रतिभूति राशि 1000/– रूपया चालान द्वारा जमा कराने का आदेश हो गया था इससे यह जाहिर होता है कि पत्रावली फैसल हो गयी थी बाद में एवं कार्यवाही रखी जाती है, बढाया गया है। उत्तरदाता को दो बार किस कानून में सजा दी गयी है। कानून की मंशा के विपरित है इसलिए दिनांक 30.09.2020 का निर्णय अपास्त किये जाने के योग्य है।
3. यह कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में दिनांक 14.10.2019 में अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी आदेश दिया गया था कि प्राधिकार पत्र अग्रिम कार्यवाही तक निलम्बित किया जाता है तथा इस क्षैत्र की वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निकटतम डीलर श्री रखबचन्द मीणा एफपीएस तलाया प्रथम को अधिकृत किया जाता है इसकी सूचना की प्रति उत्तरदाता को प्रथक रूप से देने का लिखा हुआ है। इस बावत् पत्रावली की आदेशिका में ऐसा विवरण नहीं लिखा है तथा दिनांक 21.10.2020 को पुनः कारण बताओ नोटिस उत्तरदाता को श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भेजा गया है तब प्रकरण दर्ज हुआ है। विभाग द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाही बाबत् कोई आदेशिकाए पत्रावली में नहीं हैं।
4. यह कि पत्रावली में ग्रामवासीयान की शिकायत दिनांक 17.02.2020 दिनांक 19.02.2020 हुई है जिनकी शिकायत की प्रतियां उत्तरदाता को सूचना पत्र के साथ नहीं दी गयी हैं इसका खण्डन करने का उत्तरदाता अपीलान्ट को कोई अवसर नहीं मिला है और जांच एकपक्षीय चलती रही है।
5. यह कि राशनकार्ड धारियों के बयान से यह आया है कि उन्हें राशन मिलता रहा है उन्हें उत्तरदाता से कोई शिकायत नहीं हैं तथा उनसे कोई पर्ची पर पैसे नहीं लिये जा रहे है सभी बयानों से उत्तरदाता के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होते हुए भी उनका लायसेंस निरस्त करने में भारी भूल की गयी है जो अपास्त किये जाने के योग्य हैं।
6. यह कि प्रकरण में राजनैतिक द्वैषता के कारण निर्णय पारित किया गया है वह भी एक प्रश्नचिन्ह है। पत्रावली में पांच रूपया पर्ची पर अधिक लिया गया है ऐसी साक्ष्य की पर्चीयां पेश नहीं हुई है इससे पत्रावली पर यह लगाया गया आरोप कहीं सिद्ध नहीं है।
7. यह कि अपील के साथ निर्णय दिनांक 30.09.2020 की नकल संलग्न कर पेश है।
8. यह कि अपील अन्दर अवधि 30 दिन के भीतर पेश है।
9. यह कि अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेंगे।

277

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

10. यह कि रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु निश्चित प्रोसेस व नोटिस बनाम रेस्पोडेन्ट मय नकल अपील संलग्न पेश है।

अतएव अपील पेश कर अपीलान्ट का निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.09.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का लायसेन्स बहाल रखे जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद सूचना तामिल अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की ओर से पैरोकार सरकार रसद मय रिकार्ड पत्रावली के साथ स्वयं उपस्थित हुए जिस पर दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये की अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही राजनैतिक द्वैषतापूर्ण रही है तथा जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत बिन्दुओं पर समग्र जांच नहीं कर सरसरी कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा उक्त क्रम में अपीलार्थी को प्रेषित नोटीस को खण्डन करने का उत्तरदाता को कोई अवसर नहीं दिया गया और जॉच एकपक्षीय चलती रही है और मनमाने तरीके निर्णय आदेश दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत किया गया जो एकतरफा कार्यवाही संदृश्य होने से स्वत अपास्त योग्य है। इसी प्रकम में दौराने बहस पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश एवं पारित निर्णय दिनांक 30.09.2020 को समुचित बताते हुए निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान का संचालन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के तहत् अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने से विधिक आधारों पर निरस्त किया गया है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेंमों दिनांक 27.10.2020, जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.09.2020 के साथ–साथ पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध रही है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अध्यारोपित दोषसिद्धी का अभाव रहा है। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 249/2020 में जारी आदेश दिनांक 30.09.2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15644) प्रतिभूति राशि के साथ बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner